रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012020-215716
CG-DL-E-27012020-215716

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 25, 2020/माघ 5, 1941
No. 335] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 25, 2020/MAGHA 5, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2020

का.आ. 367(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3795 (अ) दिनांक 21 अक्टूबर 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले में NH43 के कि.मी. 68/1 से कि.मी. 142/2 उमरिया से शहडोल मार्ग [अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, शहडोल] तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडीकरण / पेव्हड शोल्डर सहित दो लेन का निर्माण कार्य, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "26 नवम्बर 2019 एवं 27 नवम्बर 2019" को "दैनिक भारती" और "नवभारत" क्रमश: दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

सक्षम प्राधिकारी को आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे ;

या

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले में NH43 के कि.मी. 68/1 से कि.मी. 142/2 उमरिया से शहडोल मार्ग तक [अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, शहडोल] के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		**जिले का नाम: शहडोल**			
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: सोहागपुर				
	गांव का नाम: कोटमा				
1	1323/1	निजी	सिंचित	0.03	रंगु पिता बुदुआ (१३२३/१)
2	1323/2	निजी	सिंचित	0.046	झनुआ पिता बुदुआ अहीर (१३२३/२)
3	209	निजी	सिंचित	0.034	चुटला , बेवा रम्मा सुनीता ललिता साधना बेदना पुत्री रम्मा जायसवाल (२०९)
4	286/1	निजी	सिंचित	0.05	भूपेंद्र पिता कमला प्रसाद मिश्रा (२८६/१)
5	286/2	निजी	सिंचित	0.03	शशांक मिश्रा पिता कमला प्रसाद मिश्रा (२८६/२)
6	709/1/1	निजी	सिंचित	0.303	रामशरन पिता रामाधीन जायसवाल (७०९/१/१)
7	709/2/2	निजी	सिंचित	0.032	संतोष कुमार प्रजापति पिता दुखीलाल प्रजापति (७०९/२/२)
8	709/2/3	निजी	सिंचित	0.029	अनादि शर्मा पिता महेश प्रसाद शर्मा (७०९/२/३)

9	713/2/1	निजी	सिंचित	0.256	भूरा पिता बाल किशना (७१३/२/१)
10	713/2/2	निजी	सिंचित	0.274	गोमती पिता बाल किशना (७१३/२/२)
			कुल	**1.084**	

[फा. सं. RW/NH-37014/5/2013-NHDP-IVA/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2020

S.O. 367(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 3795 (E) dated 21 October 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of road (Widening/ Four lanning. etc.) Maintenance, management and operation of NH43 on the stretch of land from Km. 68/1 to Km. 142/2 of Umaria to Shahdol section [Sub-Divisional Officer (Revenue), Sohagpur, Shahdol] in the district of SHAHDOL in the State of MADHYA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Bharti" and "Navbharat" both dated 26.11.2019 & 27.11.2019 respectively; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

Whereas objections have not been received;

or

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH43 from km 68/1 to km 142/2 of Umaria - Shahdol Section in the stretch of land from NH43 [Sub-Divisional Officer (Revenue), Sohagpur, Shahdol] in the district of SHAHDOL in the State of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH		**District: SHAHDOL**			
Sr. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Sohagpur				
	Viilage: Kotma				
1	1323/1	Private	Irrigated	0.03	Rangu Pita Budua 1323/1

2	1323/2	Private	Irrigated	0.046	Jhanua Pita budua Ahir 1323/2
3	209	Private	Irrigated	0.034	Chutala , bewa ramma sunita lalita sadhana bedana putri ramma jaysawal 209
4	286/1	Private	Irrigated	0.05	Bhupendra pita kamla prasad mishra 286/1
5	286/2	Private	Irrigated	0.03	Shashank Mishra Pita Kamla Prasad Mishra 286/2
6	709/1/1	Private	Irrigated	0.303	Ramsharan pita Ramadhin Jaysawal 709/1/1
7	709/2/2	Private	Irrigated	0.032	Santosh Kumar Prajapati Pita Dukhilal Prajapati 709/2/2
8	709/2/3	Private	Irrigated	0.029	Anadi Sharma Pita Mahesh Prasad Sharma 709/2/3
9	713/2/1	Private	Irrigated	0.256	Bhura Pita Bal Kishna 713/2/1
10	713/2/2	Private	Irrigated	0.274	Gomti Pita Bal Kishna 713/2/2
			TOTAL	**1.084**	

[F.No. RW/NH-37014/5/2013-NHDP-IVA/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.27 04:52:27 +05'30'